

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

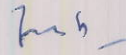
क्रमांक:- प.4(ई)(वी)अलेसे।।। लिंक नं. 12268/1908 दिनांक:- 17-06-2019

कार्यालय आदेश

श्री विकेश मीणा, (लिंक: नं.-12268) कनि० लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 01.09.2018 से 03.09.2018 तक (3 दिवस)

उक्त कुल 3 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री विकेश मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- प.4(ई)(वी)अलेसे।।। लिंक नं. 12268/1908 दिनांक:- 17-06-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. कार्यालय सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विकेश मीणा, (लिंक: नं.-12268) कनि० लेखाकार कार्यालय सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-।।।)